धारा-121. निबन्धक का समितियों में सेवायोजन की शर्ते अवधारित करने का अधिकार-

(1) निबन्धक किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तो को, जिनके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासिक नियन्त्रण भी है, विनियमित करने के लिए समय समय पर विनियम बना सकता हॅै ओर कोई समिति, जिस पर वे शर्ते प्रवत्त होती हो, उन विनियमों का तथा निबन्धक के ऐसे आदेशों का जो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिये जाये, पालन करेंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगे।